राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा–13 / अनु.वाहन / 2024 / दिनांक :

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

संदर्भः–शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 128 दिनांक 25.04.2023

उपरोक्त विषयान्र्तगत एवं संदर्भित परिपत्र के द्वारा अनुपयोगी / नकारा वाहनों का निस्तारण MSTC लिमिटेड के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। सभी नकारा वाहनों एवं एम्बुलेन्सेज की नीलामी हेतु वित्तीय सलाहकार (परिवार कल्याण) राज्य नोडल अधिकारी के पत्रांक 811 दिनांक 05.10.2023 के अनुसार दो विकल्प उपलब्ध है, इनमें से कोई भी एक विकल्प द्वारा नकारा वाहनों की नीलामी कर निस्तारण किया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः–

a) जो वाहन नकारा घोषित किए जा चुके है एवं चलने की स्थिति (On Road) में है उनको स्टेट मोटर गैराज के माध्यम से गैराज में जमा कराया जाकर नीलामी की जा सकती है, परन्तु वाहनों के परिवहन पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जावेगा।

b) जो वाहन नकारा घोषित किये जा चुके है एवं चलने की स्थिति में नहीं (Off Road) उनको MSTC जयपुर के माध्यम से ऑनलाईन "जहाँ है जैसी स्थिति में है" नीलामी की जा सकती है। इसके लिए सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी नकारा घोषित वाहनों की सूचना अनुलग्नक–अ में वित्तीय सलाहकार (परिवार कल्याण) को भिजवायेगें।

अतः आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपयोगी / नकारा वाहनों के निस्तारण हेतु त्वरित गति से उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर, जिन वाहनों की ऑनलाईन नीलामी की जानी है, ऐसे वाहनों की सूचना अनुलग्नक–अ में व वाहन को अनुपयोगी घोषित किए जाने की स्वीकृति भिजवायें, ताकि ऑनलाईन नीलामी हेतु राज्य नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जा सके। साथ ही जिन वाहनों की नीलामी की जा चुकी है, उनकी सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/-
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा–13 / अनु.वाहन / 2024 / 6988 दिनांक : 02/2/24

प्रतिलिपिः प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।

उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

D:\Ganesh ji\Letter-3.doc